Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

- **जैसेलमेर में कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक रीकों, जैसलमेर का अनुभाग अधिकारी 30,000/– रूपयें रिश्वत लेतें रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर दिनांक 23 दिसम्बर, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जोधपुर शहर द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए **भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेर** को **30,000/– रूपयें** रिश्वत लेते रंगें हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों के महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता नें बताया कि एसीबी की जोधपुर शहर ईकाई को एक शिकायत इस आशय की मिली कि भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ प्रबन्धक रीकों जैसलमेर द्वारा परिवादी की भाभी के नाम किशनघाट औधोगिक क्षेत्र में प्लाट को रीकों द्वारा वर्ष 2024 में निरस्त कर दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा अपील करनें पर रीको जैसलमेर द्वारा प्लॉट पुनः बहाल कर दिया गया था, उक्त भूखण्ड पर कार्य चालू करवानें व पत्रावली में कागजात ऑनलाईन करने की एवज में 30,000/– रूपयें रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री भुवन भूषण यादव** एसीबी जोधपुर के सुपरविजन में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर शहर के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री किशनसिंह चारण** मय जाब्ता के ट्रेप कार्यवाही करतें हुए भवानी शंकर स्वामी अनुभाग अधिकारी कों 30,000/– रूपयें रिश्वत राशि लेतें हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ एवं कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामलें में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।